न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –17/2018 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2018/00120

1. सीताराम आत्मज स्व0 गोपाल जाति बलाई निवासी मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

––प्रार्थी

बनाम

1. काली पुत्री स्व0 पुष्पचन्द
2. ममता पुत्री स्व0 पुष्पचन्द
3. नट्टी पुत्री स्व0 पुष्पचन्द
4. भूली पुत्री स्व0 पुष्पचन्द
   जति बलाई निवासीगण मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

––अप्रार्थी.

कार्यवाही बाबत निरस्त किये जाने आवंटन आदेश दिनांक 8.6.1999 भूमि आवंटन । अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान आवंटन नियम 1970

उपस्थित–

1. श्री इस्हाक अहमद अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक –05 /03/2024

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा की खसरा नं0 269/435 की 0.15 हे0 भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 8.6.1999 को प्रतिपक्षी नं0 1 से 4 के पिता पुष्पचन्द वल्द भूरा बलाई को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । उक्त आवंटन के विरूद्व प्रार्थीगण द्वारा आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है ।
2. प्रार्थी द्वारा उक्त आवंटन के विरूद्व दिनांक 01.05.2018 को प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक श्री रामकिशन वर्मा के प्रस्तुत किया है कि ग्राम मोरपा में अप्रार्थी नं0 1 से 4 के पिता पुष्पचन्द दिनांक 08.06.99 को खसरा नम्बर 269/435 की 0.15 हे0 भूमि आवंटन की गई थी, उक्त आवंटन से पूर्व समय से प्रार्थी के पिता गोपाल आत्मज भेरू बलाई का कब्जा काश्त चला आ रहा था जिसके नाम धारा 91 की वर्ष 1997 में कार्यवाही की गयी, इसके बाद लगातार उक्त भूमि पर प्रार्थी के पिता का कब्जा काश्त चला आ रहा है ओर आज भी कब्जा चला आ रहा है । केवल मात्र कागजों में दखल देना अंकित कर दिया है । इस प्रकार आवंटन कमेटी द्वारा मौका स्थिति देखे बिना ही अप्रार्थी के पिता को आवंटन कर दिया है जो निरस्त योग्य है ।
3. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट श्री इस्हाक मोहम्मद का वकालतनामा पेश हुआ । वकील उभयपक्ष उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।
4. वकील प्रार्थी द्वारा अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आवंटन प्रतिपक्षी नं0 1 ता 4 के पिता पुष्पचन्द्र के हक में किया गया है वह विधि न्याय एवं संचिका में सिद्वि प्राप्त तथ्यों के व मोके की स्थिति के सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है । आवंटन अधिकारी ने मौका की रिपोर्ट मंगवाये बिना ही ग्राम

जिला कलेक्टर
कोटा

मोरपा की खसरानं0 267/435 की 0.15 हे0 भूमि का पुष्पचन्द को आवंटन करने में त्रुटि की है । आवंटन अधिकारी ने आवंटन आदेशों व निर्देशों की कोई पालना नहीं की तथा आवंटन अधिकारी ने इस बात पर कतई ध्यान नहीं दिया कि आवंटन की जाने वाली भूमि पर प्रार्थी के पिता का कई वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा था जिसके बाबत वर्ष 1997 में धारा 91 की कार्यवाही की गई जो लगातार जारी है । उक्त भूमि पर 50 वर्षो से अधिक समय से प्रार्थी व उसके पिता का कब्जा काश्त चला आ रहा है । भूमि आवंटन होने के उपरान्त से आज तक पुष्पचन्द तथा उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान प्रतिपक्षी नं0 1 ता 4 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है व सदैव से यानी आवंटन से पूर्व से आवंटित भूमि पर कब्जा प्रार्थी के पिता व उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थी का ही चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व का प्रार्थी के पिता का कब्जा काश्त होने के कारण मोके की रिपोर्ट प्राप्त किये व प्रार्थी के पिता को सुनवायी का पूर्ण अवसर दिये आवंटन आदेश पारित करने में त्रुटि की है जो निरस्त होने योग्य है । उक्त भूमि गैर खातेदारी में पुष्पचन्द के नाम दर्ज होकर पुष्पचन्द की मृत्यु के बाद नामा0 सं0 237 दिनांक 28.1.2008 से प्रतिपक्षी के नाम दर्ज कर दी गयी और प्रतिपक्षी नं0 1 ता 4 शीघ्र ही प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है । यदि प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश दिनांक 8.6.1999 ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा कोटा की खसरा नम्बर 267/435 की 0.15 हे0 भूमि के बाबत निरस्त फरमाया जावें तथा उपरोक्त विवादित भूमि प्रार्थी को आवंटन /नियमन किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें ।

5. वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी के पिता पुष्पचन्द जी को आवंटन हुई थी, जिस पर निरन्तर कब्जा काश्त हमारा है तथा उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण को गैर खातेदारी से खातेदारी दी जा चुकी है तथा वर्तमान में यह भूमि हमारी खातेदारी में दर्ज है । जिसकी जमाबंदी अप्रार्थी की ओर से दिनांक 8.8.2023 को प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ पेश की जा चुकी है । उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर दस्तावेज रेकार्ड पर लिया जा चुका है । इस प्रकार खातेदारी की भूमि को नियम 14(4) के तहत खारिज नहीं किया जा सकता है इस बाबत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा न्यायिक निर्णय अपील/एल आर/4382/2001/बांसवारा उनवान नगेन्द्र लाल बनाम धीरजी में स्पष्ट उल्लेख किया है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि आवंटी को ग्राम मोरपा की खसरानं0 269/435 की 0.15 हे0 भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 8.6.1999 को प्रतिपक्षी नं0 1 से 4 के पिता पुष्पचन्द वल्द भूरा बलाई को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी, उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी अप्रार्थीगण का कब्जा नहीं होने तथा उक्त आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा होने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदीसंवत 2077 अनुसार उक्त भूमि खसरा नं0 267/435 रकबा 0.15 हे0 अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है । प्रथम तो कब्जे के आधार पर प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी ही नहीं है, इसके अलावा उक्त भूमि गैर खातेदारी से खातेदारी में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हो चुकी है, ऐसी स्थिति में उक्त भूमि को नियम 14(4) के तहत निरस्त नहीं किया जा सकता है तथा खातेदारी भूमि का आवंटन निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है । इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं पाया जाता है ।

जिला कलक्टर
कोटा

7. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है । अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 8.6. 1999 की भूमि खातेदारी में दर्ज होने से विधि अनुरूप हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है ।
8. निर्णय आज दिनांक 05.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर
कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा